न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा)

मु.न 154 / 2015

उनवान

भगवान सहाय पुत्र गंगाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कानाराम पुत्र मुरली
2. बद्री पुत्र मुरली
3. पूरणमल पुत्र साधुराम
4. कैलाश चन्द्र पुत्र साधुराम
5. कानाराम पुत्र साधुराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. गोपाल पुत्र सैत्या
7. रामजीलाल पुत्र सैत्या
8. जगदीश पुत्र बंशी
9. नरसी पुत्र मुरली
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. कालूराम पुत्र गोधूराम जाट
11. संतरा पत्नी श्रवण जाट
12. रामेश्वरी देवी पत्नी सांवरमल जाट
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. रामेश्वर पुत्र गंगू उर्फ गंगाराम
14. सुण्डाराम पुत्र गंगू उर्फ गंगाराम
15. जगदीश पुत्र गंगू उर्फ गंगाराम
16. झम्मु देवी पत्नी रामबक्स
17. रामचन्द्र पुत्र दुर्गा
18. गंगाबक्स पुत्र दुर्गा
19. भागचन्द पुत्र मुरलीराम
20. रामलाल पुत्र मुरलीराम
21. तेजपाल पुत्र मुरलीराम
22. रामेश्वर पुत्र मुरलीराम
23. कानाराम पुत्र मुरलीराम
24. रामनारायण पुत्र स्व0 लालूराम
25. बद्रीनारायण पुत्र स्व0 लालूराम
26. भूरा पुत्र नाथू
27. कल्याण पुत्र नाथू
28. सोहन पुत्र नाथू
29. छोटू पुत्र नाथू
    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नोपुर, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
30. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 31.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नोपुरा, पटवार हल्का हस्तेडा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/698 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 29 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार चौमूं के आदेश कमांक सीमा/2015/3002 दिनांक 30.06.2015 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.07.2015 को मौके पर पहुंचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 3 व 8 में स्थित गै.मु. चाह के मध्य जरीब चलाकर मिलान किया गया जो मौके व मुताबित नक्शे के सही पाया गया, तत्पश्चात खसरा नम्बर 3 में स्थित गै.मु. चाह से खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5 व 9/698 की समस्त सीमाओं को मुताबित शीट के नापकर निशानात कायम किये गये जिनको खसरा नम्बर 8 में स्थित गै.मु. चाह से मिलान कर प्रार्थी की उपस्थिति में सीमा चिन्ह कायम किये गये। इस प्रकार से ग्राम नोपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5 व 9/698 की समस्त सीमाओं का सीमाज्ञान किया गया तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 प्रार्थी को उनके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी काश्तकार व्यक्ति है, जिनका की उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं हैं। जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन तत्पश्चात उस पर पत्थरगढी करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की सीमाज्ञान दिनांक 13.07.2015 के मुताबिक पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मिन जवाबदातागण कि जानकारी में हैं, सीमाज्ञान आदेश कमांक सीमा/2015/3002/ दिनांक 03.06.2015 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.07.2015 को ना तो मौके पर गया और ना ही उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवायें, तथाकथित खसरा नम्बर 3 व 8 स्थित गैर.मु. चाह जरीब चलाकर देखने पर नक्शें के मुताबिक सही पाया स्पष्ट रिपोर्ट नही कि खसरा नम्बर 3 व 8 से जरीब किस स्थान से जरीब कि लम्बाई कितनी रही व नजरी नक्शे में कितनी बैठती हैं व दोनो में कितना अन्तर है स्पष्ट रिपोर्ट नही की गई, ना ही मौके पर सीमा चिन्ह कायम किये गये, ना ही खातेदारों को सूचित किया गया इस कारण सीमाज्ञान अधूरी है, पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाया जावें।

प्रार्थना पत्र में आवेदित खसरा नम्बर जो साबिक खसरा नम्बर से भू प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाये गये है ये नम्बर उसी स्थान पर नही बनाये गये हैं तथा भू प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों द्वारा नक्शे में साबिक खसरा नम्बरों की जो पहले सीमा थी उसको हाल नक्शें में कम–ज्यादा कर दिया गया हैं। अतः पत्थरगढी करवाया

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

जाना न्यायोचित नही हैं। जिस कारण प्रार्थीगण का पत्थरगढी का आवेदन निरस्त किया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 12 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार साहब के आदेश कमांक 2015/3002/दिनांक 30.06.2015 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.07.2015 को मौके पर सीमाज्ञान करना बताया जो बिना अप्रार्थीगण की उपस्थिति में किया गया हैं जो गलत हैं। क्योंकि सीमाज्ञान के लिये पहले कानूनी रूप से पडौसी खातेदार को हल्का पटवारी नोटिस देकर सूचित करता की फलातारीख को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया जायेगा, लेकिन हल्का पटवारी ने प्रार्थी भगवान सहाय से मिलकर सीमाज्ञान की गलत रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर पडौसी खातेदारों के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसे में उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.07.2015 अपने आप में एक गलत रिपोर्ट हैं।

अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे व स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढी नहीं करने दे रहे हैं, प्रार्थी ने गलत कथन अंकित किये हैं। क्योंकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कभी भी मना नहीं किया हैं। लेकिन प्रार्थी अपनी भूमि तो पुरी करना चाहता हैं चाहे वह अप्रार्थीगण की खातेदारी में से ही मिले, अगर प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता हैं, पडौसी अप्रार्थीगण से कोई लेना देना ही नही चाहे उनकी भूमि कम पडती है तो पडे, ऐसे में उक्त पत्थरगढी का प्रार्थना खारिज किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि उक्त सीमाज्ञान जो नया नक्शा पुराने नक्शे से 12 मीटर अधिक होने से उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट भी अपने आप में गलत साबित होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र हैविकोस्ट पर खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 30 बावजूद तामिल अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती हैं। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 13.07.2015 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 13.07.2015 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner